17

भारतीय समाज का संयोजन (बनावट) : जनजातियाँ

(Composition of Indian Society : Tribes)

भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएँ हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, सम्प्रदाय, प्रजाति एवं जाजि के लोग निवास करते हैं। यहाँ की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 7.4 प्रतिशत भाग आदिम जातियों या जन-जातियों द्वारा निर्मित है। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 करोड़ 16 लाख जनसंख्या जन-जातियों की थी जो बढ़कर 1991 में 6.78 करोड़ हो गई। वर्तमान में 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है। प्राय: अधिकतर जन-जातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ सत्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा है। आज भी अनेक जन-जातियाँ आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर हैं।

जनजाति (Tribe)

गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह खानाबदोशी जत्थे, झुण्ड, गोत्र, भ्रातृदल एवं अर्द्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जन-जातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजाति, आदि नामों से पुकारा जाता है। डॉ. घुरिये इनके लिए पिछड़े हुए हिन्दू (Backward Hindus) शब्द का प्रयोग करते हैं।

जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं, "स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं।"[1] डॉ. रिवर्स के मतानुसार, "जनजाति का ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके

---

[1] Gillin and Gillin, Cultural Sociology, p. 282.

सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।''

डॉ. मजूमदार लिखते हैं, ''एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।''[1]

Imperial Gazetteer of India के अनुसार, एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है, जिसका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भू-भाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और जो प्राय: अन्तर्विवाह नहीं करती रही है।

(3) हॉबल का कथन है कि ''एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक् करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है।''[2]

(4) चार्ल्स विनिक ने जनजाति की परिभाषा करते हुए लिखा है, ''एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों, जैसे गोत्रों या गाँवों को सममिलित कर सकता है।''[3]

रॉल्फ पिडिंगटन ने जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, ''हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भू-भाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पायी जाती हो।''[4]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि **एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव-समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यत: अन्तर्विवाह के नियमों का पालन करता है।**

जनजाति के लक्षण (विशेषताएँ) (Characteristics of Tribe)

(1) सामान्य भू-भाग (Common Territory)— एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में ही निवास करती है। इसके परिणामस्वरूप उसका उस भू-भाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भू-भाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएँ विकसित हो जाती हैं, किन्तु डॉ. रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भू-भाग को आवश्यक नहीं मानते।

---

1. D.N. Majumdar, Races and Cultures of India, p. 93
2. Hoebel, E.A., Man in the Primitive World (1949), p. 513.
3. Charles Winick, Dictionary of Anthropology, p. 546.
4. R. Piddington, An Introduction to Social Anthropology (1956), p. 164.

Scanned with CamScanner

(2) सामान्य भाषा (Common Lahguage)— एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है, किन्तु सभ्यता के सम्पर्क के कारण कई जन-जातियाँ द्विभाषी हो गयी हैं।

(3) विस्तृत आकार (Big Size)— एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह एवं गोत्र तथा भ्रातृदल होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है।

(4) अन्तर्विवाह (Endogamy)— एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं।

(5) एक नाम (A Name)— प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं।

(6) सामान्य संस्कृति (Common Culture)— एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है, उनके रीति-रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू-संगीत, नृत्य, खान-पान, भाषा, रहन-सहन, विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता पायी जाती है।

(7) आर्थिक आत्मनिर्भरता (Economic Self-sufficiency)— एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल-फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि एवं गृह-उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। यद्यपि कभी-कभी वे अपनी पड़ोसी समाजों से भी विनिमय करते हैं।

(8) राजनीतिक संगठन (Political Organisation)— एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशत: एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परम्पराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाये रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है। कहीं-कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद् (Council of the elders) भी पायी जाती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है।

(9) सामान्य निषेध (Common Taboo)— एक जनजाति खान-पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से सम्बन्धित समान निषेधों का पालन करती है।

भारत में अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या
(Population of Scheduled Tribes in India)

भारतीय संविधान में अनुसूचित जन-जातियों की संख्या 212 बतायी गयी है।

Scanned with CamScanner